न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री नरेन्द्र गुप्ता आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 15/2014

बउनवान

सरकार जर्ये तहसीलदार, मांगरोल जिला–बारां **(प्रार्थी)**

बनाम

धापू बाई पुत्री पांचू जाति गूजर निवासी हिंगोनिया हाल निवासी खेड़लीकेशो तह0 बारां **(अप्रार्थिया)**

रेफरेन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. पेरोकार सरकार **(प्रार्थी)**

2. श्री योगेश गुर्जर अभिभाषक **(अप्रार्थिया)**

आदेश दिनांक– 23.03.2022

1– प्रार्थी सरकार जर्ये तहसीलदार, मांगरोल ने रेफरेंन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थिया प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वर्तमान में अप्रार्थिया के खाते विवादित आराजी ख0नं0 7 रकबा 2.41 है. किस्म माल 1 वाके ग्राम बोहत तहसील–मांगरोल राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2069–72 खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी के सेटलमेंट अवधि 2014–2023 में खसरा नम्बर 2 रकबा 14 बीघा 13 बिस्वा किस्म गै.मु.तलाई रहे है, वर्तमान सेटलमेंट संवत 2044–63 में भू प्रबंध विभाग द्वारा नवीन खसरा नंबर 7 रकबा 2.41 हैं कायम किये जाकर उक्त भूमि गै.मु.तलाई की किस्म माल 1 दर्ज कर ख.नं. 7 रकबा 2.41 है. को अवैधानिक रूप से अप्रार्थिया के खाते दर्ज कर दिया। उक्त आराजी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1956 की धारा–16 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित भूमि है। इसलिये अप्रार्थिया को किया गया आवंटन/नियमन नियम विरूद्व है। प्रकरण अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में डी.बी.रिट संख्या 1536/2003 निर्णय दिनांक 02.08.2004 में भी ऐसी भूमि के आवंटन को विधि विरूद्व मानते हुए आवंटन निरस्त किये जाने के निर्देश दिये है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.04.08 10:44:09 IST
Reason: SelfAttested

अतः उक्त आवंटन/नियमन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा–16 के तहत अवैधानिक है तथा डी0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के निर्णय दिनांक 2.8.2004 अनुसार ऐसी आराजी को पूर्ववत दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः आवंटन/नियमन निरस्त किया जाकर, भूमि को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

जिला कलक्टर बारां (राज०)

2— प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थिया को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थिया द्वारा जर्ये अभिभाषक जवाब इस आशय का पेश किया कि खसरा नंबर 7 रकबा 2.41 है. भूमि प्रार्थिया को उसके पिता पांचू गुर्जर साकिन हाल खेड़ली केशो तह0 बारां के करीबन 35–40 वर्ष पूर्व हुए आवंटन के आधार पर खाते दर्ज की गयी है, उस समय भूमि गड्डेनुमा थी जिसमें वर्षों तक बरसाती पानी भरता था। प्रार्थिया के पिता ने काफी मेहनत कर खेती योग्य बनाया तब जाकर उसमें बरसाती फसल तो नहीं होती थी लेकिन बाद की फसल होने लगी। प्रार्थिया के पिता की मृत्यु के बाद प्रार्थिया एवं उसके पति ने उक्त आराजी को समतल किया तब जाकर उक्त आराजी प्रार्थिया एवं उसके परिवार के साधन योग्य बन पाई। प्रार्थिया के परिवार के पास आय का अन्य कोई जरिया नहीं है। अतः निवेदन है कि तहसीलदार, मांगरोल का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

जिला कलेक्टर न्यायालय बारां (राज०)

3— उक्त जवाब प्राप्त होने पर हमने पत्रावली बहस हेतु नियत की।

4— हमने बहस उभयपक्ष सुनी। बहस के दौरान पेरोकार सरकार ने प्रार्थनापत्र के समर्थन में निवेदन किया कि ग्राम बोहत की आराजी साबिक खसरा नम्बर 2 रकबा 14 बीघा 13 बिस्वा किस्म गै.मु.तलाई को भू प्रबंध विभाग द्वारा दौराने सेटलमेंट कार्य अप्रार्थिया के अवैधानिक रूप से खाते दर्ज कर दिया। जिस वक्त खाते दर्ज की गयी उस वक्त विवादित आराजी की किस्म गै.मु.तलाई थी, जो आवंटन/नियमन योग्य भूमि नहीं थी। विवादित आराजी के बाद सेटलमेंट ख0नं0 7 रकबा 2.41 है. बने है जो वर्तमान में अप्रार्थिया के खातेदारी में दर्ज है। जिसकी किस्म माल I दर्ज है। यह भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा–16 के अन्तर्गत आवंटन/नियमन योग्य उपलब्ध नहीं थी। अप्रार्थिया को उक्त आवंटन/नियमन नियम विरूद्व हुआ है। ऐसे नियम विरूद्व आंवटन/नियमन प्रारम्भतः ही शून्य है, जिसे किसी भी दशा में मान्यता नहीं दी जा सकती। वादग्रस्त आराजी के संबंध में जितनी भी कार्यवाहियॉ हुई है, वह निरस्त योग्य है। डी0बी0सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.08.2004 अनुसार भी ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये है। माननीय न्यायालय के निर्णया[illegible] उक्त आवंटन/नियमन को निरस्त किया जाकर, पूर्ववत उक्त आराजी को गै.मु.तलाई दर्ज किया [illegible] आवश्यक है। अतः प्रार्थी तहसीलदार, मांगरोल द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स [illegible] अधिनियम, 1956 को स्वीकार किया जाकर, रेफरेन्स माननीय राजस्व [illegible] को अग्रेषित किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.04.08 10:44:09 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
बारां (राज०)

5— बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने पेरोकार सरकार के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि वर्तमान में अप्रार्थिया के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा नंबर 7 रकबा 2.41 है. वाके ग्राम बोहत की किस्म माल I है जो तलाई के स्वरूप में स्थित नहीं है। विवादित आराजी वर्तमान में खाल नाल तलाई की श्रेणी में नहीं है ओर वर्तमान स्थिति में बिल्कुल समतल जमीन है जहां पर पानी का ठहराव नहीं

है। विवादित आराजी वर्तमान में कृषि योग्य भूमि है। उक्त कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो से बाहर जाकर की है अप्रार्थिया भूमिहीन काश्तकार है उक्त आराजी के अतिरिक्त अप्रार्थिया के पास अन्य कोई आराजी जीवन यापन के लिये नहीं है। अतः उक्त रेफरेन्स खारिज फरमाया जावे।

साथ ही निवेदन किया कि तहसीलदार, मांगरोल द्वारा 35–40 वर्ष से अधिक समय पश्चात् अब्दुल रहमान बनाम सरकार रिट में पारित आदेश दिनांक 2.8.2004 के आधार पर उक्त आवंटन/नियमन को निरस्त किये जाने हेतु रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया है जबकि उक्त आवंटन/नियमन सरकार द्वारा किया गया है जिसमें स्टेट की ओर से तहसीलदार द्वारा रिप्रजेन्ट किया गया है। इसलिये तहसीलदार को उक्त कार्यवाहीं प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है।

जिला कलेक्टर बारां (राज०)

6– बहस के दौरान अभिभाषक अप्रार्थिया ने पूर्व में प्रस्तुत लिखित बहस व जिला कलक्टर, बारां के निर्णय दिनांक 04.08.1999 व अन्य दस्तावेज पत्रावली में सम्मिलित किये जाने तथा बहस के मुख्य बिन्दु इस आशय का पेश किया कि ग्राम बोहत की आराजी खसरा नंबर 7 रकबा 2.41 है. प्रार्थिया के खातेदारी में दर्ज है तथा यही भूमि ग्राम सांखली में खसरा नंबर 676 रकबा 2.48 है. गै.मु. तलाई के नाम से दर्शायी हुयी है, जबकि दोनों भूमियां एक ही हैं। ग्राम बोहत एवं ग्राम सांखली का कांकड़ की भूमि है। जिसे सांखली में सेटलमेन्ट के दौरान गलत रूप से खसरा नंबर 676 रकबा 2.48 है. तलाई दर्ज कर दिया गया। न्यायालय जिला कलक्टर, बारां द्वारा निर्णय दिनांक 04.08.99 से ग्राम सांखली तहसील बारां के खसरा नंबर 676 रकबा 2.48 है. तलाई भूमि को राजस्व रिकार्ड से समाप्त करने का निर्णय पारित किया गया। इसी के साथ वकील अप्रार्थिया ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 7 व 8 की छायाप्रति पेश की।

6– हमने पेरोकार सरकार व अप्रार्थीगण अभिभाषक की बहस को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि सेटलमेंट पूर्व जमाबन्दी सम्वत् 2014–23 अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 2 रकबा 14 बीघा 13 बिस्वा किस्म गै.मु.तलाई खाता सरकार दर्ज है। जिसका अप्रार्थिया के पिता को आवंटन/नियमन किया गया है। उक्त आराजी के बाद सेटलमेंट संवत 2044–63 नये खसरा नम्बर 7 रकबा [illegible] है बने है जो वर्तमान में अप्रार्थिया के खातेदारी में दर्ज है। इस प्रकार अप्रार्थिया के पिता को जिस [illegible] आवंटित/नियमन की गयी थी उस वक्त विवादित आराजी कि[illegible]कार दर्ज थी, जो आवंटन योग्य भूमि नहीं थी। अप्रार्थीगण को उक्त आराजी [illegible]/नियमन नियम विरूद्ध हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.04.08 10:44:09 IST
Reason: SelfAttested

7– अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार स्पष्ट है कि अप्रार्थी को आवंटित/नियमन आराजी खसरा नम्बर 2 रकबा 14 बीघा 13 बिस्वा किस्म गै.मु.तलाई का आवंटन/नियमन की गयी आराजी के बाद सेटलमेंट संवत 2044–63 नये खसरा नम्बर 7 रकबा 2.41 है0 बने है। उक्त आराजी वास्तविक रूप से सेटलमेंट पूर्व किस्म गै.मु.तलाई दर्ज थी जिसका

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

आवंटन अप्रार्थिया के पिता को विधि विरूद्व हुआ है तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी0बी0 सिविल रिट जनहित याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 2.8.2004 में ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है। इसलिये हम उक्त आवंटन को विधि विरूद्व मानते हुए, आवंटन निरस्त करने के लिये रेफरेंन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अग्रेषित किया जाना उचित समझते है।

8— परिणास्वरूप, प्रार्थी जर्ये तहसीलदार, मांगरोल का रेफरेन्स प्रार्थनापत्र स्वीकार कर, अप्रार्थिया के वर्तमान में वाके ग्राम बोहत में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 7 रकबा 2.41 है0 किस्म माल 1, जो मूल रूप से सेटलमेंट पूर्व साबिक खसरा नम्बर 2 रकबा 14 बीघा 13 बिस्वा किस्म गै.मु.तलाई से बना है जिसका अप्रार्थिया के पिता को गलत रूप से आवंटन/नियमन हुआ है, आवंटन/नियमन निरस्त किये जाने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 की धारा–82 के अन्तर्गत रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में प्रेषित किया जावे। इस हेतु तहसीलदार मांगरोल को आदेश दिये जाते है कि इस न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त कर, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क कर, अन्दर मियाद रेफरेंस प्रस्तुत करे तथा सावचेत होकर प्रकरण में पैरवी सुनिश्चित करे।

9— तहसीलदार, मांगरोल को यह भी निर्देश दिये जाते है कि प्रश्नगत आवंटन/नियमन की गई आराजी जो वर्तमान में अप्रार्थिया के खातेदारी में दर्ज है। जमाबन्दी खाते पर रेफरेंन्स होने का नोट लाल स्याहीं से राजस्व रेकार्ड में अंकित करें।

आदेश आज दिनांक 23.03.2022 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर, बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

न्यायालय जिला कलक्टर

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.04.08 10:44:09 IST
Reason: SelfAttested